सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 338 / 17</u> निर्णय दिनांकः

1. रामकरण पुत्र नाथुराम जाति ज्योतिषी निवासी नोखा मण्डी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 26—09—2017
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री विनोद नाथ, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 26—09—2017 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व से ही वन विभाग को आवंटित भूमि का भूमिहीन में आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् के नाम से उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 23 डीओडीडी (आर) के मुरब्बा नम्बर 59 / 50 की 25 बीघा भूमि आवंटन हेतु दिनांक 04—05—2003 को प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये

जाने पर अपीलांट को आराजी जैर का भूमिहीन के तहत आवंटित की गई थी। जिसका अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व से ही वन विभाग के कब्जे में है तथा मौके पर वन विभग की तारबन्दी व वृक्षारोपण किया हुआ है। अपीलांट को उक्त भूमि मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पूगल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अदालत मातहत द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि मौके पर नर्सरी व पेड़ लगे हुए है तथा वन विभाग का कब्जा है। इसलिए आराजी जैर का कब्जा दिया जाना संभव नहीं है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन आदेश आज दिनांक तक खारिज नहीं किया गया है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–09–2017 के विरूद्व अपील दिनांक 16–10–2017 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि पूर्व से ही वन विभाग का कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–09–2017 के विरूद्व अपील 16–10–2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि अपीलांट को पूर्व में वन विभाग को आवंटनशुदा भूमि का आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट् को उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 23 डीओडीडी (आर) के मुरब्बा नम्बर 59/50 की 25 बीघा भूमि आवंटन हेतु दिनांक 04–05–2003 को प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट को आराजी जैर का भूमिहीन के तहत आवंटित की गई थी। अपीलांट् को आराजी जैर का कब्जा इस आधार पर नहीं मिला कि उक्त भूमि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर वन विभाग के कब्जे में है तथा मौके पर वन विभाग की तारबन्दी व वृक्षारोपण है।

(3) जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट को चक 23 डीओडीडी (आर) के मुरब्बा नम्बर 59/50 की 25 बीघा भूमि अनकमाण्ड भूमि का भूमिहीन के तौर आवंटन सलाहकार समिति की राय पर आवंटन किया गया। अनकमाण्ड भूमि का सलाहकार समिति की राय से आवंटन किया गया। चूंकि उक्त भूमि मौके पर वन विभाग का कब्जा है तथा मौके पर तारबन्दी व वृक्षारोपण किया हुआ है। इस तथ्य को अदालत मातहत द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि आराजी जैर पर वन विभाग के द्वारा तारबन्दी, वन विभाग की नर्सरी व पेड़ लगे है। इसलिए अपीलांट को उक्त आराजी जैर का कब्जा प्राप्त नहीं हो सकता। अदालत मातहत को अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन से पूर्व संबंधित तहसीलदार से उक्त आश्य की रिपोर्ट प्राप्त की जारी अपरिहार्य थी कि क्या उक्त आराजी विशुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं? अतः अपीलांट पात्रता अनुसार अन्य भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

(4) अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित व तत्पश्चात् पुनः वन विभाग को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत

मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को पूर्व में वन विभाग के अधिग्रहण की भूमि का आवंटन अपीलांट को किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(5) अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। चूंकि अपीलांट को पूर्व में वन विभाग को आवंटनशुदा भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः बिन्दु संख्या 6 के मद संख्या 1 से 5 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–09–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को उसकी पात्रता की जॉच करते हुए विवादरहित व शुद्व रूप से भूमिहीन श्रेणी की अन्यत्रभूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर